प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 23.05.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 23.05.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-इकदिल

इटावा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरुप मा0न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 रु0/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे-7 / एनडीपीएस कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 110 ग्राम नशीला पाउडर बरामद के आधार पर थाना इकदिल पर दिनांक 22.03.2021 को **मु0अ0सं0 85/2021 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री नरेश सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 मुलायम सिंह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र सिंह परिहार द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.05.2026 को अन्तर्गत धारा **21/22 एनडीपीएस एक्ट में मा0न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 रु0/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. बोबी उर्फ सतेन्द्र पुत्र राधा मोहन निवासी विकास कॉलोनी भाग-1 थाना इकदिल जनपद इटावा।